झारखण्ड सरकार

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01 / यो0बजट–24 / 2018– 1483 दिनांक : 19/12/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अतिक्रमण से मुक्त कराये गये वनभूमि को घेरान के साथ स्थल विशेष प्राक्कलन के अनुसार स्थलवार वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल **रू0 151.223 लाख (एक करोड़ एकावन लाख बाईस हजार तीन सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0–36 / 2018–37 / स्वी0 व0प0 दिनांक–07.12.2018 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट–36 / 2018–88 / आ0 व0प0 दिनांक 11.12.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 151.223 लाख (एक करोड़ एकावन लाख बाईस हजार तीन सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	83.567
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	67.656
कुल :–		**151.223**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19S240601789580103 तथा पी0 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

F:\DEVELOPMENT\2018-19\Allotment\SCSP\Soil Conservation & Afforestation\S.O. 37 dt 07.12.2018 (7)\Scheme (site spe).doc

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों के अनुसार राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

7. इस राशि का उप आवंटन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो द्वारा समर्पित स्थल विशेष प्राक्कलन के अनुरूप किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थल विशेष प्राक्कलन के अनुरूप ही कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार

कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–24/2018–** 1483 / दिनांक– 19/12/18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–24/2018–** 1483 / दिनांक– 19/12/18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अतिक्रमण से मुक्त कराये गये वनभूमि को घेरान के साथ स्थल विशेष प्राक्कलन के अनुसार स्थलवार वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 237.38 प्रति मानव दिवस)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो

(राशि लाख में)

क्र. सं.	प्रक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2018–19 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	चास	कमलडीह	20.00	9.140	5.329	14.469
2		भवानीपुर	4.00	4.839	6.067	10.906
3		चास	6.00	3.514	2.880	6.394
4		बाँधगोड़ा	24.00	19.221	20.104	39.325
5		नारायणपुर	35.00	13.497	7.939	21.436
6		तेतुलिया	30.00	15.920	11.664	27.584
7	पेटरवार	चन्द्रपुरा	35.30	8.780	5.971	14.751
8		बुण्डू	26.26	8.656	7.702	16.358
योग :–			**180.56**	**83.567**	**67.656**	**151.223**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

F:\DEVELOPMENT\2018-19\Allotment\SCSP\Soil Conservation & Afforestation\S.O. 37 dt 07.12.2018 (7)\Scheme (site spe)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि की विवरणी :-

TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S240601789580103	19S240601789580323	Total
Bokaro	BKRFOR001	Ravindra Nath Mishra	D F O, Bokaro	8356700 (76755)	6765600 (76760)	15122300

कुल आवंटित राशि :- 15122300 (एक करोड इकावन लाख बाइस हजार तीन सौ) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-24/2018/1483 दिनांक - 19-Dec-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	76755	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D F O, BOKARO	8,356,700.00 रुपये तिरयासी लाख छप्पन हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
2	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	76760	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D F O, BOKARO	6,765,600.00 रुपये सड़सठ लाख पैंसठ हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			

योग: 15,122,300.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड इकावन लाख बाइस हजार तीन सौ

17/12

(SHRI SATNAM SINGH BADHAN,IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

122.252.250.38

Run Date: 19/12/2018